

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

आदेश-1

क्रमांक:-प.14(4)/शिक्षा-1/जिला टोंक/2014

जयपुर दिनांक :- 20-10-14

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश संख्या प.14(4)/शिक्षा-1/जिला टोंक/2014 दिनांक 14.08.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुए आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात विभिन्न स्तरों यथा राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी को आदर्श विद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतें/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों से पृथक किया जाना आवश्यक है। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कालम संख्या 06 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

जिला टोंक

ब्लॉक का नाम :- टोंक

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	मेंहन्दवास	मेंहन्दवास	रा.उ.मा.वि. मेंहन्दवास,	रा.प्रा.वि. गुदल्या की ढाणी मेंहन्दवास राउप्रावि मेहनदवास	रा.प्रा.वि. गुदल्या की ढाणी मेंहन्दवास	दूरी 1.500 कि.मी. होने के कारण
2	दाखिया	दाखिया	रामावि दाखिया	राप्रावि ढाणी बन्जाराण दाखिया राप्रावि दाखिया	राप्रावि ढाणी बन्जाराण दाखिया	दि.19.9.14 के निर्देश 2.3.3 के अनुसार अ.जा. की बस्ती में पर्याप्त संख्या का विद्यालय होने के कारण
3	कूरेडा	कूरेडा	रामावि कूरेडी	राप्रावि मीणा बैरवा बस्ती कूरेडा राप्रावि कूरेडी	राप्रावि ढाणी मीणा कूरेडी	एस.सी.एस.टी की आबादी हाने एवं रास्ते में सहोदरा नदी का पानी भरा रहने के कारण
4	पासरोटिया	पासरोटिया	रामावि पासरोटिया	राप्रावि बैरवा ढाणी पासरोटिया राप्रावि पासरोटिया	राप्रावि बैरवा ढाणी पासरोटिया	दूरी 1.00 कि.मी. होने एवं अ.जा. की आबादी होने से

रु/1

ब्लॉक का नाम :- देवली

क. स.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	चौदली	चौदली	राजकीय माध्यमिक विद्यालय चान्दली	रा.उ.प्रा.वि.चान्दली की झोपड़िया, राप्रावि चान्दली	रा.उ.प्रा.वि.चान्दली की झोपड़िया,	दूरी 1.800 कि.मी. होने से प्राथमिक कक्षाओं के लिए आर.टी.ई. मानदण्ड के अनुसार न होने के कारण
2	मालेडा	मालेडा	राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालेडा, देवली	रा.उ.प्रा.वि. कहारों का झोपड़ा, मालेडा राप्रावि मालेडा	रा.उ.प्रा.वि. कहारों का झोपड़ा, मालेडा	दूरी 1.600 कि.मी. होने से प्राथमिक कक्षाओं के लिए आर.टी.ई. मानदण्ड के अनुसार न होने के कारण


ब्लॉक का नाम :- निवाई

क. स.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	सीदडा	सीदडा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीदडा	राउप्रावि खातीयों की ढाणी, सीदडा, राप्रावि सीदडा राप्रावि बा सीदडा	राउप्रावि खातीयों की ढाणी, सीदडा,	दूरी 2.600 कि.मी. होने से प्राथमिक कक्षाओं के लिए आर.टी.ई. मानदण्ड के अनुसार न होने के कारण
2	सेदरिया खुर्द	सेदरिया खुर्द	रा.मा.वि. सैदरिया खुर्द	रा.बा.प्रा.वि.सैदरिया खुर्द राप्रावि सैदरिया खुर्द	रा.बा.प्रा.वि. सैदरिया खुर्द	दूरी 1.700 कि.मी. होने से प्राथमिक कक्षाओं के लिए आर.टी.ई. मानदण्ड के अनुसार न होने के कारण
3	ललवाडी	ललवाडी	राजकीय माध्यमिक विद्यालय ललवाडी,	रा.उ.प्रा.वि. बणजारा ढाणी ललवाडी राप्रावि ललवाडी	रा.उ.प्रा.वि. बणजारा ढाणी ललवाडी	दूरी 1.400 कि.मी. होने से प्राथमिक कक्षाओं के लिए आर.टी.ई. मानदण्ड के अनुसार न होने के कारण
4	हनोतिया बुर्जुग	हनोतिया बुर्जुग	रामावि हनोतिया बुर्जुग	राप्रावि बैरवा ढाणी हनोतिया बुर्जुग राप्रावि हनोतिया बुर्जुग	राप्रावि बैरवा ढाणी हनोतिया बुर्जुग	दूरी 1.500 कि.मी. होने से प्राथमिक कक्षाओं के लिए आर.टी.ई. मानदण्ड के अनुसार न होने के कारण
5	खण्डवा	खण्डवा	राआमा विद्यालय खण्डवा, निवाई	रा.प्रा.वि. बैरवा ढाणी खण्डवा राप्रावि खण्डवा	रा.प्रा.वि. बैरवा ढाणी खण्डवा, निवाई	दि.19.9.14 के निर्देश 2.3.3 के अनुसार अ.जा. की बस्ती में पर्याप्त संख्या का विद्यालय होने के कारण

(Handwritten signature)

6	चैनपुरा	चैनपुरा	राजकीय माध्यमिक विद्यालय चैनपुरा,	रा.उ.प्रा.वि. चैनपुरा. रा.प्रा.वि. चैनपुरा	रा.उ.प्रा.वि. चैनपुरा,	दिनांक 19.9.14 के निर्देश 2.3.4 के अनुसार दोनो विद्यालयों के मध्य रेलवेलाईन होने के कारण
---	---------	---------	-----------------------------------	---	------------------------	--

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(अन्तर सिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव प्रथम, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर।
11. परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलेक्टर, टोंक
15. संयुक्त शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा/प्राशि (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, अजमेर
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक टोंक
21. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव